

पत्रावली पेश हुई, वकील वार्दी अनुपस्थित।
वार्दी एवं वार्दी के अधिवक्ता को कितनी बार
रुक-रुक कर आवाजे दिलायी जाने के बाद भी
उपस्थित नहीं। वकील वार्दी के अनुपस्थित रहने
से वार्दी का वाद पत्र अदम हाजरी / अदम पंखी
में शवाशिय किया जाता है, पत्रावली फंसल शुमार
होकर नम्बर से कम हो।

4
उपखण्ड अधिकारी
मांडल जिला भीलवाड़ा

9.22

पत्रावली पेश हुई, वकील वादी अनुपस्थित।
वादी एवं वादी के अधिवक्ता को कितनी बार
रुक-रुक कर आवाजे दिलायी जाने के बाद भी
उपस्थित नहीं। वकील वादी के अनुपस्थित रहने
से वादी का वाद पत्र अदम हाजरी / अदम पंजी
में शरीर किया जाता है, पत्रावली फ़ैसल शुमार
होकर नम्बर सै कम हो।

①
उपखण्ड अधिकारी
मांडल जिला भीलवाड़ा